न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 17/64

ओमप्रकाश उर्फ बूची लाल आत्मज गणेशराम जाति धाकड निवासी रंगतलाब उर्फ काला तलाब कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम रंग तलाब उर्फ काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 156 की 0.21 हैक्टर खसरा नम्बर 255 की 1.32 हैक्टर कुल दो किता की 1.53 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में बूची लाल के स्थान पर ओमप्रकाश अथवा ओमप्रकाश उर्फ बूची लाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गुई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहरया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित कर दिया था कि वादी अपीलान्ट का वास्तविक नाम ओमप्रकाश है और उसे गॉव में बूची लाल के नाम से ही जानते हैं व पुकारते हैं । इस कारण पटवारी हल्का ने उसके पिता का इंतकाल तस्दीक करते समय सहवन से ओमप्रकाश के स्थान पर बूची लाल दर्ज कर दिया । इस सम्बन्ध में शपथ पत्र व वादी ने अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड पहचान पत्र ड्राईविंग लाइसेंस आदि पेश किये जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास न कर उक्त वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट का न मानकर उक्त आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 निरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बूचीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश अथवा बूची लाल उर्फ ओमप्रकाश अंकित किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2017 (2) डीएनजे पेज 681 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपने वाद को साबित नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका हमने अवलोकन किया – उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी बूचीलाल पिसरान गणेश कौम धाकड निवासी रंग तलाब उर्फ कालातलाब के खाते में दर्ज रिकॉर्ड है । वादी का मुताबिक पहचान पत्र, शपथ पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड के अनुसार ओम प्रकाश पुत्र गणेश है जबकि उक्त भूमि बूची लाल के खाते में दर्ज है मुताबिक शपथ पत्र एवं ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूचीलाल को ओमप्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है कि बूचीलाल का रिकॉर्ड में ओमप्रकाश नाम दर्ज है और उसे बचूीलाल के नाम से भी पुकारा जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण में अपील अपीलान्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 निरस्त किया जाता है । राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपीलान्ट का नाम बूचीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश अथवा बूची लाल उर्फ ओमप्रकाश अंकित किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/64

ओमप्रकाश उर्फ बूची लाल आत्मज गणेशराम जाति धाकड निवासी रंगतलाब उर्फ काला तलाब कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 123/दावा/2016

ओमप्रकाश उर्फ बूची लाल आत्मज गणेशराम जाति धाकड निवासी रंगतलाब उर्फ काला तलाब कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016..की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 12.01.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2016 निरस्त किया जाता है । राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपीलान्ट का नाम बूचीलाल के स्थान पर ओमप्रकाश अथवा बूची लाल उर्फ ओमप्रकाश अंकित किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 12.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यांयालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा